Reg- 449/16

Khadalandpur 444/16

UR NO - 111/16

2/11/18 [illegible] के साथ [illegible] द्वारा [illegible] APO को दर्ज किये गये आवेदन प्रकाशित कराया गया, [illegible] पर आपत्ति आमंत्रित हुई। आपत्तिकर्ता श्री [illegible] ने लिखित आपत्ति दी है।

आवेदन के बिन्दु पर (अभिभाषकों के द्वारा)

अभिभाषक श्री विद्याभूषण अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक विपक्षी है तथा वाद दायर करने के लिये वरिष्ठ न्यायालय से आवेदन आमंत्रित नहीं किया गया है। अभिभाषक श्री [illegible] के द्वारा मुख्य प्रश्नगत [illegible] है। पत्र दिनांक 8/10/18 को आवेदन पत्र [illegible] है अतः श्री नाथ की अभिलाषा केवल [illegible] की तरफ है। अतः आवेदन पत्र खारिज करने का आदेश दिया जाय।

[illegible] अभिभाषक [illegible] विपक्षी [illegible] आवेदन पत्र अभिभाषकों की [illegible] अभिलेख से आवेदक के विरुद्ध होता है कि अभिभाषक पद [illegible] उपस्थित है। [illegible] अभिभाषक श्री [illegible] आवेदन अभिभाषक की ओर से [illegible] 5000/- के [illegible] आवेदन पत्र [illegible] आदेशित किया जाता है।

अभिभाषक